

27.11

डा० हमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून, दिनांक: 2 जुलाई, 2011

विषय:- सबला योजना के अर्न्तगत जारी धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-698/XVII(4)/2011/29/10 दिनांक 24-03-2011, शासनादेश संख्या-780/XVII(4)/2011/29/10 दिनांक 29-03-2011 के क्रम में आपके पत्र संख्या-35/सबला-1552/2011-12 दिनांक 06-04-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल "किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना-सबला" का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया तदनुसार इस संबन्ध में अविलम्ब आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा० हमलता ढौंडियाल)
सचिव,

संख्या: ११७ / XVII(4)/2011 / 29 / 10, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकेम सिंह पवार)
संयुक्त सचिव

71